



**महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली**  
**MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY**  
**NAACA++ Accredited: ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified**



पत्रांक:—रू0वि0 / रासेयो / 2024 / 1083-1093  
 सेवा में,

दिनांक:—10.12.2024

अनुस्मारक—01

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रम अधिकारी,  
 समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा0से0यो0),  
 महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

**विषय:—वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु पंजीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-03, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-आवं 12 / सत्तर-रा0से0या0को0-2024-21 / 2017, दिनांक 08 नवम्बर, 2024 एवं रा0से0यो0 प्रकोष्ठ के पत्रांक संख्या रू0वि0 / रासेयो / 2024 / 1044-1048, दिनांक 27.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों की रा0से0यो0 ईकाईयों को सूचित किया जाता है कि वह अपने राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाईयों के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं की सूची संलग्न प्रारूप पर एवं प्रति स्वयंसेवक पंजीकरण शुल्क रू0 5 की दर से अर्थात् 100 छात्रों का रू0 500/- का बैंक ड्राफ्ट, डी0डी0 (वित्त अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली) के नाम तैयार कर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को दिनांक 05.12.2024 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु अधिकतर महाविद्यालयों द्वारा अभी तक 500रू डी0डी0 एवं पंजीकरण सूची अघोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.12.2024 तक मांगी गयी डी0डी0एव लिस्ट को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोट:—जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त दिनांक तक रा0से0यो0 ईकाईयों के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं की सूची संलग्न प्रारूप पर एवं बैंक ड्राफ्ट, डी0डी0 उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो ऐसे महाविद्यालय की रा0से0यो0 ईकाई को विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक), लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन को निरस्त करने हेतु प्रेषित कर दी जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य / कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

भवदीय

प्रो0 सोमपाल सिंह  
 कार्यक्रम समन्वयक  
 राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव के संज्ञानार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- ✓ 5. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक  
 राष्ट्रीय सेवा योजना